

प्रेषक,

डॉ० दीपक कोहली,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 07 अगस्त, 2020

विषय-जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग में मै० जय प्रकाश एसोसिएट्स द्वारा ग्राम-कोटा में जे०पी० सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874 हे० आरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ.नं०. 8-07/2019-एफसी, दिनांक 06.08.2020 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आख्या मांगी गई है, जो निम्नवत है :-

1. A detailed site inspection report based on joint site inspection by the Regional Office, MoEF&CC, Lucknow and officials of the State Forest Department, regarding violation done as per the provisions under Forest (Conservation) Act, 1980 over the forest area proposed for diversion by user agency.
The report shall include among others :
 - a. Status of forest land proposed for diversion and extent of violations of FCA 1980.
 - b. Extent of forest area, within the proposed area of diversion, where violation under Forest (Conservation) Act 1980 has been done;
 - c. Suitability of site proposed for compensatory afforestation vis-à-vis DSS analysis report ;
 - d. Any other information relevant with instant proposal.
2. The State Government shall provide details of construction activity carried out on proposed forest area for diversion by user agency after Hon'ble NGT order in OA No. 494 of 2015 dated 04-05-2016 if any;
3. Present possession status of remaining forest area outside the proposed area for diversion, i.e. 1083.203 ha-115.874 ha =967.126 ha.

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र दिनांक 06.08.2020 में उल्लिखित आपत्तियों का निराकरण कर अपनी संस्तुति सहित आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,




(डॉ० दीपक कोहली)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. यूजर एजेन्सी।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से


(डॉ० दीपक कोहली)
संयुक्त सचिव।